[2022] 8 एस सी आर 279

ए.

मनोज @मोनू @विशाल चौधरी बनाम।

हरियाणा और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 207) 15 फरवरी, 2022

बी.

[हेमंत गुप्ता और वी**.** रामसुब्रमण्यन**,** जे**.** जे**.]**

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 -धारा 94 (2) (ii)-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 -आर. 12 (3)-यू. पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947-यू. पी. पंचायत राज (परिवार रजिस्टर का रखरखाव) नियम, 1970-अपीलार्थी -अभियुक्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा कानून के साथ टकराव में किशोर घोषित किया गया था-उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त करना किया गया आदेश, अपीलार्थी को वयस्क के रूप में मुकदमा लड़ने का आदेश दिया गया-अपील पर, कहा गयाःकिशोरता की याचिका को प्रामाणिक और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए-किशोरता की मांग करने के लिए, यदि किसी ऐसे दस्तावेज़ पर निर्भरता है जो विश्वसनीय नहीं है या प्रकृति में संदिग्ध है, तो अपीलार्थी को किशोर नहीं माना जा सकता है क्योंकि अधिनियम एक लाभकारी कानून है-क़ानून के प्रावधानों की उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए लेकिन लाभ उस अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है जिसने असत्य बयान के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है-अपीलार्थी ने अशुद्ध हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज वास्तविक और भरोसेमंद नहीं हैं, और इस प्रकार उसे किशोरता का लाभ नहीं दिया जा सकता है-उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में एक संभावित दृष्टिकोण है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

सी.

डी.

ई.

किशोर न्याय-किशोरता का निर्धारण-ऑसिफिकेशन टेस्ट-आयोजितःऑसिफिकेशन परीक्षण व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है और इसलिए प्रत्येक मामले में इसकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए-जलवायु, आहार संबंधी, वंशानुगत और भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में भिन्नताओं के कारण एपिफिसिस के संघ

की आयु के निर्धारण के लिए एक समान मानक तैयार करने की यथोचित उम्मीद नहीं की जा सकती है।

एफ.

जी.

किशोर न्याय-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015-उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 -s.110-यू. पी. पंचायत राज (परिवार रजिस्टर का रखरखाव) नियम, 1970-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 - आर. 12 (3)-पारिवारिक रजिस्टर-आयोजित का प्रमाणिक मूल्यःए कितना?

एच.

279

280 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 8 एस. सी. आर.

पारिवारिक रजिस्टर के साथ साक्ष्य मूल्य संलग्न किया जाना तथ्य का प्रश्न है, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है, कानून का सही उच्चारण नहीं होगा-रजिस्टर को एक क़ानून के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बनाए रखा जाता है-पंचायत के मामलों के नियमित पाठ्यक्रम में की गई प्रविष्टियां इस प्रकार प्रासंगिक होंगी लेकिन इस तरह की निर्भरता की सीमा प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होगी-इसके अलावा, आर के संदर्भ में।12(3)(iii) नियमों के अनुसार, निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र किशोरावस्था को साबित करने के लिए एक प्रासंगिक दस्तावेज है-परिवार रजिस्टर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है-इसलिए, यह सख्ती से आर के खंड (iii) के भीतर नहीं आता है।12(3) – यहाँ तक कि एस।94(2)((ii) 2015 के अधिनियम में आयु निर्धारित करने के लिए पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया गया है।

बी.

सी.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा**,**

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** किशोर न्याय **(**बच्चों की देखभाल और संरक्षण**)** अधिनियम**, 2000** को किशोर न्याय **(**बच्चों की देखभाल और संरक्षण**)** अधिनियम**, 2015** द्वारा निरस्त कर दिया गया है।आयु निर्धारित करने की प्रक्रिया अब **2015** अधिनियम की धारा **94** का हिस्सा है जो पहले किशोर न्याय **(**बच्चों की देखभाल और संरक्षण**)** नियम**, 2007 (**नियम**)** के नियम **12** के तहत प्रदान की गई थी।अपीलार्थी तीन दस्तावेजों पर निर्भर करता है जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र**;** किशोर होने की अपनी याचिका के समर्थन में स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र

और ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट, जबकि राज्य परिवार रजिस्टर नियमों द्वारा निर्धारित परिवार रजिस्टर पर निर्भर करता है।[पैरा **5** और **6] [287-**एफ-एच**; 288-**ए-बी**]**

डी.

ई.

2. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि **13.05.1993** के रूप में उल्लिखित है।ऐसी जन्म तिथि **7.10.2014** पर अधिनियम की धारा **7** ए के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद **19.11.2014** पर पंजीकृत की गई थी।**2000** के अधिनियम के तहत लाभ का दावा करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की ऐसी तिथि की व्यवस्था की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र की तिथि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह **7.10.2014** पर अधिनियम की धारा **7** ए के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद प्राप्त किया गया था।जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, अपीलार्थी का जन्म घर पर हुआ था।इसलिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, **1969** की धारा **8 (1) (**ए**)** और **10 (1) (**आई**)** के संदर्भ में, जन्म की सूचना कुलसचिव को घर के मुखिया या ए के निकटतम रिश्तेदार द्वारा दी जानी थी।

एफ.

जी.

एच.

281

मनोज @मोनू @विशाल चौधरी बनाम हरियाणा राज्य और एएनआर।

घर में मौजूद सिर या मौजूद सबसे उम्रदराज वयस्क पुरुष व्यक्ति द्वारा।यदि **30** दिनों के भीतर जन्म की सूचना दी जाती है, तो इसे निर्धारित विलंब शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत किया जाएगा।**30** दिनों के बाद जन्म के पंजीकरण के लिए अन्य शर्तें भी हैं।इसलिए, अदालतों ने जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पर भरोसा नहीं किया है जो **19.11.2014** पर दिया गया था क्योंकि यह आवेदन दाखिल करने के बाद प्राप्त किया गया था और जन्म के कई वर्षों बाद पंजीकृत किया गया था, न कि तुरंत या निर्धारित समय अवधि के भीतर।[पारस **8-10] [288-D-G; 289-F-G]**

बी.

3. विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (उदा. ए**-3)** आदर्श शिक्षा सदन, पिन्ना के प्रधान शिक्षक उमेश कुमार की जांच करके साबित हुआ है।गवाह के बयान के अनुसार, स्कूल वर्ष **1999** में गाँव खीरी, दुदाधारी में काम कर रहा था और वर्ष **2009-2010** में गाँव पिन्ना में

स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ वे वर्ष **2000** से प्रधान शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे।प्रमाण पत्र के अनुसार, अपीलार्थी **12.7.1999** से **2.7.2003** तक ऐसे विद्यालय का छात्र था।जिरह में, वह स्वीकार करता है कि स्कूल एक निजी स्कूल है और अपीलार्थी के पिता ने प्रथम श्रेणी में भाग लेने वाले अपीलार्थी का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी को सीधे दूसरी कक्षा में प्रवेश दिया गया था।वह स्वीकार करते हैं कि प्रवेश पत्र, **ए-1,** उनकी लिखावट में तैयार की गई एक ढीली चादर है और इसमें किसी भी उच्च अधिकारी के जवाबी हस्ताक्षर नहीं हैं।उन्होंने शिक्षा विभाग के पास स्कूल के पंजीकरण का कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया है।तथाकथित प्रवेश प्रपत्र उनके द्वारा **1999** में भरा गया था, साथ ही वर्ष **2003** का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी भरा गया था। स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि यह आदर्श शिक्षा सदन, गाँव खीरी, दुदाधारी के प्राचार्य द्वारा **29.9.14** पर जारी किया गया था, हालांकि स्कूल वर्ष **2009-2010** में गाँव पिन्ना में स्थानांतरित हो गया था।यह स्पष्ट और मनोरंजक नहीं है कि किसी विशेष विद्यालय द्वारा प्रमाणपत्र कैसे जारी किया जाता है जिसे दूसरे गाँव में स्थानांतरित कर दिया गया है।इससे प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है।दूसरी ओर, एक्स आर**-1** राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र है जिसमें कहा गया है कि गाँव खीरी, दुदाधारी में आदर्श शिक्षा सदन के नाम से कोई स्कूल मौजूद नहीं है।ऐसा प्रमाण पत्र प्राथमिक विद्यालय, खीरी के कनिष्कवीर सिंह द्वारा जारी किया गया है।विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय ने इस तरह के प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं विद्वान है।इस तरह का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अविश्वसनीय है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

और यह कि प्रमाण पत्र केवल न्यायालय के समक्ष किशोरता साबित करने के लिए एक प्राप्त दस्तावेज है।**[**पैरास **11-14] [289-G-H; 290-A-F] 4.1** मेडिकल बोर्ड ने अपीलार्थी की आयु **23** से **24** वर्ष के बीच बताई है, जब अपीलार्थी की जाँच **13.05.2016** पर की गई थी।अपीलार्थी द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका को स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा ओस्सिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है।ऑसिफिकेशन परीक्षण व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है और

इसलिए प्रत्येक मामले में इसकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए।भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को प्रभावित करने वाले जलवायु**,** आहार**,** वंशानुगत और अन्य कारकों में भिन्नता के कारण एपिफिसिस के संघ की आयु के निर्धारण के लिए एक समान मानक तैयार करने की उचित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है।**[**पैरा **15** और **16] [290-**एफ**-**जी**; 291-**सी**]**

बी.

सी.

मोदी द्वारा चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान, 26 वीं

संस्करण**,** पृष्ठ।**221 –** संदर्भित किया गया।

4.2 मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉ**.** राजीव चौहान ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि **30** से **32** वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को भी वही संलयन मिलेगा जो **22** वर्ष की आयु को पार करने वाले व्यक्ति में पाया जाता है।मेडिकल बोर्ड का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी **23** से **24** वर्ष का था**,** अपराध करने की तारीख को अपीलार्थी की आयु **18** वर्ष से कम निर्धारित करने के लिए निर्णायक या सहायक नहीं कहा जा सकता है।**[**पैरा **22] [295-**सी**-**ई**]**

डी.

ई.

ज्योति प्रकाश राय बनाम बिहार राज्य **(2008) 15** एससीसी **223:[2008] 3** एससीआर **818;** मुकर्रब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2017)**

2 एससीसी 210:[2016] 8 एस. सी. आर. 557; अबुज़र हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 489:[2012] 9

एफ.

एससीआर **244;** पराग भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2016)**

12 एससीसी 744:[2016] 2 एस. सी. आर. 1089; रामदेव चौहान बनाम असम राज्य (2001) 5 एस. सी. सी. 714:[2001] 3 एससीआर 669-पर निर्भर।

जी.

5.1 परिवार रजिस्टर नियम उत्तर प्रदेश राज्य में एक परिवार रजिस्टर तैयार करने का निर्देश देते हैं जिसमें गाँव सभा से संबंधित गाँव में आम तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के परिवारवार नाम और विवरण शामिल हैं।ऐसे नियम यू**.** पी**.** पंचायत राज अधिनियम**, 1947** की धारा **110** के तहत बनाए गए हैं।

एच.

ए.

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है कि अपीलार्थी किशोर नहीं है।नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्येक परिवार को एक पृष्ठ आवंटित किया गया है और जन्म और मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार में किसी भी परिवर्तन को ऐसे पृष्ठ पर शामिल किया जाना आवश्यक है।परिवर्तनों को ग्राम पंचायत की अगली बैठक से पहले भी रखा जाना आवश्यक है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसे नियम किसी अधिनियम के अनुसरण में वैधानिक रूप से बनाए गए हैं। रजिस्टर में प्रविष्टियाँ ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में की जानी चाहिए।ब्लॉक बरवाला के ग्राम पंचायत अधिकारी नीरज कुमार से पूछताछ की गई जिसमें उन्होंने कहा कि रजिस्टर में प्रविष्टियां परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई हैं, हालांकि वह यह नहीं बता सके कि ये प्रविष्टियां किसने की थीं।**[**पैरा **23** और **24] [294-**ई**-**एफ**; 296-**बी**-**डी**]**

बी.

सी.

5.2 अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि परिवार रजिस्टर को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत किशोर की उम्र निर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **35** दीवानी और आपराधिक कार्यवाही दोनों में आकर्षित होती है।यह विचार करता है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस देश की कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के पालन में, जिसमें ऐसा रजिस्टर रखा गया है, सामान्य कार्य क्रम में रखा गया रजिस्टर एक प्रासंगिक तथ्य होगा।इस तरह के नियम अप्रासंगिक नहीं हैं जैसा कि तर्क दिया गया है।इस परिवार रजिस्टर में न केवल जन्म तिथि होती है, बल्कि परिवार में किसी भी परिवर्धन का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, हालांकि प्रत्येक मामले में साक्ष्य मूल्य की जांच की जानी चाहिए।यह न्यायालय कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए व्यापक दृष्टिकोण को मंजूरी देने में असमर्थ है कि परिवार के सदस्यों की आयु निर्धारित करने के लिए परिवार रजिस्टर प्रासंगिक नहीं है।यह तथ्य का सवाल है कि परिवार रजिस्टर के साथ कितना साक्ष्य मूल्य जोड़ा जाना है, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है, कानून का सही उच्चारण नहीं होगा।एक कानून के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है।इस प्रकार पंचायत के कार्यों के नियमित क्रम में की गई प्रविष्टियाँ प्रासंगिक होंगी, लेकिन इस तरह की निर्भरता की सीमा प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होगी।नियमों के नियम **12 (3) (iii)** के संदर्भ में, निगम या

नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र यह साबित करने के लिए एक प्रासंगिक दस्तावेज है कि

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

किशोरावस्था।परिवार का रजिस्टर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है।इसलिए**,** यह सख्ती से नियमों के नियम **12 (3)** के खंड **(iii)** के अंतर्गत नहीं आएगा।यहां तक कि **2015** के अधिनियम की धारा **94 (2) (ii)** भी आयु निर्धारित करने के लिए पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार करती है।**[**अनुच्छेद **26,32** और **34-37] [296-G; 298-A-B; 299-E-H; 300-A]**

रविंदर सिंह गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2006) 5** एस**.** सी**.** सी**.**

बी.

584 :[2006] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 615-**पर निर्भर।

कृष्ण पाल बनाम यू. पी. राज्य 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 695;

शिव पट्टा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 14202-अनुमोदित।

सी.

5.3 अपीलार्थी ने **2000** अधिनियम की धारा **7** ए के तहत दायर अपने आवेदन में केवल स्कूल छोड़ने के रिकॉर्ड के आधार पर किशोरावस्था पर भरोसा करने की मांग की। इस तरह का स्कूल रिकॉर्ड विश्वसनीय नहीं है और ऐसा लगता है कि केवल किशोरावस्था के अनुरोध का समर्थन करने के लिए प्राप्त किया गया है।अपीलार्थी ने अपने आवेदन में जन्म प्रमाण पत्र की तारीख का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि यह बाद में प्राप्त किया गया था।किशोरावस्था की याचिका को प्रामाणिक और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए।यदि नाबालिग होने की मांग करने के लिए किसी ऐसे दस्तावेज़ पर निर्भरता है जो विश्वसनीय या संदिग्ध प्रकृति का नहीं है**,** तो अपीलार्थी को इस बात को ध्यान में रखते हुए किशोर नहीं माना जा सकता है कि अधिनियम एक लाभकारी विधान है।कानून के प्रावधानों की उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए लेकिन लाभ उस अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है जिसने असत्य बयान के साथ

न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।अपीलार्थी ने अस्वच्छ हाथों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि उसके द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है वे वास्तविक और भरोसेमंद नहीं हैं।अतः**,** अपीलार्थी को किशोरता का लाभ नहीं दिया जा सकता है।उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में एक संभावित दृष्टिकोण है और वर्तमान अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।**[**पारस **38** और **39] [300-**बी**-**ई**]**

डी.

ई.

एफ.

बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य और अन्र। **(2008) 13**

एससीसी **133:[2008] 14** एस**.** सी**.** आर**. 161-**पर निर्भर।

हरे राम चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **1989** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन सभी **438;** अनिल कुमार बनाम सुचिता।**2009** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन ऑल **671;** बहादुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। **2009** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन ए**.** एल**.** एल**. 1757;** अब्दुल हकीम पारदन और अन्य बनाम राज्य

जी.

यू. पी. 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 5201; राम मूर्ति देवी ए

एच.

285

मनोज @मोनू @विशाल चौधरी बनाम हरियाणा राज्य और एएनआर।

v. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **2021** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन सभी **260;** प्रमोद कुमार मांगलिक बनाम श्रीमती। साधना रानी

1989 एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन ऑल **125-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2008] 3 एससीआर **818**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **18**

बी.

[2016] 8 एससीआर **557**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **19**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **19**

[2012] 9 एससीआर **244**

[2016] 2 एससीआर **1089**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **19**

[2008] 14 एससीआर **161**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **20**

सी.

[2001] 3 एससीआर **669**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **21**

[2006] 2 पूरक।एससीआर **615**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **32**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 207।

डी.

2016 (ओ एंड एम) के सी. आर. आर. No.2258 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।राजुल भार्गव, वरिष्ठ अधिवक्ता, कार्तिकेय भार्गव, स्वप्निल सिन्हा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

ई.

दिनेश चंदर यादव, ए. ए. जी., डॉ. अनमोल रतन सिद्धू, वरिष्ठ अधिवक्ता, ईश्वर चंद, डॉ. मोनिका गुसैन, नरेंद्र कुमार वर्मा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

एफ.

1. वर्तमान अपील में चुनौती चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2019 द्वारा पारित एक आदेश के लिए है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद द्वारा पारित एक आदेश में वर्तमान अपीलार्थी को कानून के साथ संघर्ष में किशोर घोषित विद्वान गया था और अपीलार्थी को वयस्क के रूप में मुकदमा लड़ने का आदेश अपास्त करना गया था।

जी.

2. वर्तमान अपील के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी को आई. डी. 1 पर एक घटना के संबंध में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ आरोप था कि उसने एक कार को रोका और रुपये छीन लिए। रहने वालों से 22 लाख

एच.

ए.

गाड़ी से।शिकायतकर्ता कार में सवार लोगों में से एक था, जबकि एक अन्य सवार-भीम सिंह की गोली लगने से मौत हो गई।मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने 07.10.2014 पर एक आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया कि वह घटना की तारीख तक एक किशोर था, अपने स्कूल रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए जिसमें उसकी जन्म तिथि 13.05.1993 का खुलासा किया गया था।विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी की याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 09.01.2015 के आदेश के अनुसार उसे किशोर घोषित कर दिया।इस तरह के आदेश को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। पुनरीक्षण की अनुमति 04.05.2016 पर दी गई थी और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निचली विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया गया था।

बी.

सी.

3. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने रिमांड के बाद पाया कि अपीलार्थी ओस्सिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार घटना की तारीख को 16 साल 8 महीने और 5 दिन का था।रिपोर्ट में

डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए गए अपीलार्थी की आयु 23-24 वर्ष थी।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज (परिवार रजिस्टर का रखरखाव) नियम, 1970 1 के तहत तैयार किए गए परिवार रजिस्टर पर भरोसा करते हुए कहा कि अपीलार्थी की किशोरता की याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इस तरह का आदेश वर्तमान अपील में चुनौती का विषय है।

डी.

4. आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 2 के नियम 12 (3) (बी) के तहत प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैः

ई.

"12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाः

(1) कानून के साथ टकराव में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, न्यायालय या बोर्ड या जैसा भी मामला हो, इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति उस उद्देश्य के लिए आवेदन करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कानून के साथ टकराव में ऐसे किशोर या बच्चे या किशोर की उम्र निर्धारित करेगी।

एफ.

(2) न्यायालय या बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, किशोर या बच्चे या जैसा भी मामला हो, कानून के साथ संघर्ष में किशोर की किशोरता या अन्यथा, प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या दस्तावेजों के आधार पर, यदि उपलब्ध हो, निर्णय करेगी और उसे अवलोकन गृह या जेल में भेजेगी।

जी.

1 संक्षेप में, 'परिवार रजिस्टर नियम' 2 संक्षेप में, 'नियम' ए

एच.

(3) कानून के साथ टकराव में किसी बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति द्वारा साक्ष्य प्राप्त करके की जाएगी -

(ए) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में;

बी.

((ii) स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख; और जिसके अभाव में;
(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

सी.

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) के (i), (ii) या (iii) में से किसी एक के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके लाभ दे सकती है।

डी.

और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, जो भी मामला हो, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सा राय पर विचार करने के बाद, उसकी उम्र और खंड (ए) (आई), (बी), (आई) में से किसी एक में निर्दिष्ट साक्ष्य के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करेगा या जिसके अभाव में, खंड (बी) कानून के साथ संघर्ष में ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा।“

ई.

एफ.

5. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 3 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।आयु निर्धारित करने की प्रक्रिया अब 2015 अधिनियम की धारा 94 का हिस्सा है जो पहले नियमों के उपर्युक्त नियम 12 के तहत प्रदान की गई थी।

6. मान लीजिए कि नियम 12 (3) (ए) (आई) के तहत कोई मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र नहीं है।अपीलार्थी ने उस स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पर भरोसा किया जो पहले उपस्थित हुआ था।दूसरी ओर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने रिपोर्ट ए. डब्ल्यू. 1/ए. पर भरोसा विद्वान

जी.

3 2000 अधिनियम 4 2015 अधिनियम

एच.

चिकित्सक मंडल द्वारा दिनांकित ओस्सिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी की आयु 23 से 24 वर्ष पाई गई थी।विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने परिवर्तन का लाभ दिया और रिपोर्ट की तारीख को आयु 22 वर्ष निर्धारित की और इस प्रकार वह 16 वर्ष 8 महीने और 5 दिन का पाया गया।इसके अलावा, अपीलार्थी को नियमों के नियम 12 (3) (बी) के संदर्भ में एक वर्ष के अतिरिक्त लाभ का हकदार पाया गया, इसलिए, अपीलार्थी को कानून के साथ संघर्ष में किशोर माना गया।विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या अपीलार्थी द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं विद्वान है।

बी.

7. अपीलार्थी तीन दस्तावेजों पर निर्भर करता है जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र; किशोर होने की अपनी याचिका के समर्थन में स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट, जबकि राज्य परिवार रजिस्टर नियमों द्वारा निर्धारित परिवार रजिस्टर पर निर्भर करता है।

सी.

आई. जन्म प्रमाण पत्र

8. सबसे पहले, हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की सच्चाई की जांच करेंगे जिसमें जन्म तिथि 13.05.1993 के रूप में उल्लिखित है।ऐसी जन्म तिथि 7.10.2014 पर अधिनियम की धारा 7 ए के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद 19.11.2014 पर पंजीकृत की गई थी।9. हम पाते हैं कि 2000 के अधिनियम के तहत लाभ का दावा करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की ऐसी तिथि की व्यवस्था की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र की तिथि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह 7.10.2014 पर अधिनियम की धारा 7 ए के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद प्राप्त किया गया था।जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, अपीलार्थी का जन्म घर पर हुआ था।इसलिए, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 5 की धारा 8 (1) (ए) और 10 (1) (आई) के संदर्भ में, जन्म की सूचना कुलसचिव को घर के मुखिया या घर में मौजूद मुखिया के निकटतम रिश्तेदार या मौजूद सबसे उम्रदराज वयस्क पुरुष व्यक्ति द्वारा दी जानी थी।यदि 30 दिनों के भीतर जन्म की सूचना दी जाती है, तो इसे निर्धारित विलंब शुल्क के भुगतान पर पंजीकृत किया जाएगा।30 दिनों के बाद जन्म के पंजीकरण के लिए अन्य शर्तें भी हैं।अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैंः

डी.

ई.

एफ.

जी.

“8. जन्म और मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए आवश्यक व्यक्ति।-(1) यह.

नीचे निर्दिष्ट व्यक्तियों का कर्तव्य होगा कि वे अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, मौखिक रूप से या लिखित रूप में, ऐसे समय के भीतर दें या दें, जो निर्धारित किया जाएः

5 पंजीकरण अधिनियम ए

एच.

289

मनोज @मोनू @विशाल चौधरी बनाम हरियाणा राज्य और एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

धारा 16 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में दर्ज किए जाने वाले कई विवरणों के बारे में पंजीयक को जानकारी

(क) किसी घर में जन्म और मृत्यु के संबंध में, चाहे वह आवासीय हो या गैर-आवासीय, खंड (ख) से (ङ) में निर्दिष्ट कोई स्थान न हो, घर का मुखिया या, यदि एक से अधिक परिवार घर या घर में रहते हैं, और यदि वह उस अवधि के दौरान किसी भी समय घर में मौजूद नहीं है, जिसके भीतर जन्म या मृत्यु की सूचना दी जानी है, तो घर में मौजूद मुखिया का निकटतम रिश्तेदार, और ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में, उक्त अवधि के दौरान उसमें मौजूद सबसे पुराना वयस्क पुरुष व्यक्ति;

बी.

सी.

XXX

XXX

XXX

10. जन्म और मृत्यु को अधिसूचित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य और

मृत्यु के कारण को प्रमाणित करना।**- (1)** यह कर्तव्य होगा **-**

डी.

((i) जन्म या मृत्यु के समय दाई या कोई अन्य चिकित्सा या स्वास्थ्य परिचारिका,

((ख) शवों के निपटान के लिए अलग रखे गए स्थान का रखवाला या मालिक या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई व्यक्ति जो ऐसे स्थान पर उपस्थित हो, या

ई.

((ग) कोई अन्य व्यक्ति जिसे राज्य सरकार अपने पदनाम द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।

प्रत्येक जन्म या मृत्यु या दोनों को, जिसमें वह उपस्थित था या उपस्थित था, या जो ऐसे क्षेत्रों में हुआ, जो विहित किया जाए, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से पंजीयक को अधिसूचित करना, जो विहित किया जाए।"

एफ.

10. इसलिए, न्यायालयों ने जन्म प्रमाण पत्र की तारीख पर भरोसा नहीं किया है जो 19.11.2014 पर दिया गया था क्योंकि यह आवेदन दाखिल करने के बाद प्राप्त किया गया था और जन्म के कई वर्षों बाद पंजीकृत किया गया था, न कि तुरंत या निर्धारित समय अवधि के भीतर।

जी.

ii.स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र

11. विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (उदा. ए-3) आदर्श शिक्षा सदन, पिन्ना के प्रधान शिक्षक उमेश कुमार की जांच करके साबित हुआ है।गवाह के बयान के अनुसार, स्कूल वर्ष 1999 में गाँव खीरी, दुदाधारी में काम कर रहा था और इसे गाँव पिन्ना में स्थानांतरित कर दिया गया था।

एच.

वर्ष 2009-2010 में जहाँ वे वर्ष 2000 से प्रधान शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे।प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलार्थी ऐसे विद्यालय का 12.7.1999 से 2.7.2003 तक का छात्र था। जिरह में, वह स्वीकार करता है कि स्कूल एक निजी स्कूल है और अपीलार्थी के पिता ने प्रथम श्रेणी में भाग लेने वाले अपीलार्थी का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।अपीलार्थी को सीधे दूसरी कक्षा में प्रवेश दिया गया था।वह स्वीकार करते हैं कि प्रवेश पत्र, ए-1, उनकी लिखावट में तैयार की गई एक ढीली चादर है और इसमें किसी भी उच्च अधिकारी के जवाबी हस्ताक्षर नहीं हैं।उन्होंने शिक्षा विभाग के पास स्कूल के पंजीकरण का कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया है।

बी.

12. तथाकथित प्रवेश प्रपत्र उनके द्वारा 1999 में भरा गया था, साथ ही वर्ष 2003 का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी भरा गया था।स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के अवलोकन से पता चलता

है कि यह आदर्श शिक्षा सदन, गाँव खीरी, दुदाधारी के प्राचार्य द्वारा 29.9.14 पर जारी किया गया था, हालांकि स्कूल वर्ष 2009-2010 में गाँव पिन्ना में स्थानांतरित हो गया था।यह स्पष्ट और मनोरंजक नहीं है कि किसी विशेष विद्यालय द्वारा प्रमाणपत्र कैसे जारी किया जाता है जिसे दूसरे गाँव में स्थानांतरित कर दिया गया है।इससे प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है।

सी.

डी.

13. दूसरी ओर, एक्स आर-1 राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र है जिसमें कहा गया है कि गाँव खीरी, दुदाधारी में आदर्श शिक्षा सदन के नाम से कोई स्कूल मौजूद नहीं है।ऐसा प्रमाण पत्र प्राथमिक विद्यालय, खीरी के कनिष्कवीर सिंह द्वारा जारी किया गया है।

ई.

14. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय ने इस तरह के प्रमाण पत्र पर भरोसा नहीं विद्वान है।हम पाते हैं कि इस तरह का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अविश्वसनीय है और यह प्रमाण पत्र न्यायालय के समक्ष किशोरता साबित करने के लिए केवल एक संग्रहित दस्तावेज है।

एफ.

iii.ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट

15. मेडिकल बोर्ड ने अपीलार्थी की आयु 23 से 24 वर्ष के बीच बताई है, जब अपीलार्थी की जाँच 13.05.2016 पर की गई थी।इस रिपोर्ट पर विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी द्वारा उठाई गई किशोरता की याचिका को स्वीकार करने के लिए भरोसा विद्वान गया है।हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अस्थिकरण परीक्षण व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर भिन्न होता है और इसलिए प्रत्येक मामले में इसकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए।

जी.

16. मोदी की मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी की एक पाठ्यपुस्तक, 26 वां संस्करण, पृष्ठ।221, आयु-ए निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारकों का वर्णन करता है।

एच.

(1) ऊँचाई और वजन-यह माना जाता है कि उम्र के अनुसार ऊँचाई और वजन में क्रमिक वृद्धि व्यक्तियों में इतनी भिन्न होती है कि इसे चिकित्सा-कानूनी मामलों में उम्र का अनुमान लगाने में निर्भर नहीं किया जा सकता है।

(2) हड्डियों का ऑसिफिकेशन-यह संकेत ऑसिफिकेशन पूरा होने तक उम्र निर्धारित करने में सहायक है, क्योंकि स्कीग्राफी ने अब जीवित व्यक्तियों में भी ऑसिफिकेशन की सीमा और हड्डियों में एपिफिसिस के संघ को निर्धारित करना संभव बना दिया है।

बी.

17. इसलिए, भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को प्रभावित करने वाले जलवायु, आहार, वंशानुगत और अन्य कारकों में भिन्नता के कारण एपिफिसिस के संघ की आयु के निर्धारण के लिए एक समान मानक तैयार करने की उचित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है।

सी.

18. इसके अलावा, इस न्यायालय ने ज्योति प्रकाश राय बनाम बिहार राज्य 6 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र का निर्धारण करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट को कभी भी न्यायालयों और चिकित्सा वैज्ञानिक द्वारा निर्णायक प्रकृति का नहीं माना गया है।यह भी पाया गया कि यद्यपि अधिनियम एक लाभकारी विधान है, लेकिन लाभकारी विधान के सिद्धांतों को केवल क़ानून की व्याख्या के उद्देश्य से लागू किया जाना चाहिए, न कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कोई व्यक्ति किशोर है या नहीं।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

डी.

“12. 2000 का अधिनियम निर्विवाद रूप से एक लाभकारी विधान है।हालाँकि, लाभकारी विधान के सिद्धांतों को केवल क़ानून की व्याख्या के उद्देश्य से लागू किया जाना चाहिए, न कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि कोई व्यक्ति किशोर है या नहीं।अपराध करने की तारीख को कोई अपराधी किशोर था या नहीं, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का सवाल है जिसे पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत परिकल्पित उक्त उद्देश्य के लिए प्रासंगिक किसी भी साक्ष्य के अभाव में, प्रत्येक मामले में शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण किया जाना चाहिए।उक्त उद्देश्य के लिए, न केवल प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने की आवश्यकता है, बल्कि पहले के अवसरों पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी प्रासंगिक होंगे।

ई.

एफ.

जी.

13. किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट पर कभी भी अदालतों और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया है।

6 (2008) 15 एससीसी 223

एच.

292

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 8 एस सी आर।

वैज्ञानिक प्रकृति में निर्णायक हों।एक निश्चित आयु के बाद अस्थिकरण परीक्षण या अन्य परीक्षणों के आधार पर संबंधित व्यक्ति की सटीक आयु निर्धारित करना मुश्किल है।विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2006) 1 एस. सी. सी. 283 में यह न्यायालयः(2006) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 217] ने राय दीः(एस. सी. सी. पी. 290, पैरा 20)

"20. श्री ललित द्वारा हमारे समक्ष यह आग्रह किया जाता है कि अभियोजक की आयु का निर्धारण ऑसिफिकेशन परीक्षण करके वैज्ञानिक रूप से साबित किया जाए और इसलिए, डॉक्टर की राय कि लड़की की आयु 18-19 वर्ष थी, को स्वीकार किया जाना चाहिए।हम इस तर्क को इन कारणों से स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि विशेषज्ञ चिकित्सा साक्ष्य नेत्र साक्ष्य पर बाध्यकारी नहीं है।चिकित्सा अधिकारी की राय न्यायालय की सहायता करना है क्योंकि वह तथ्य का गवाह नहीं है और चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य वास्तव में एक सलाहकार चरित्र का है और तथ्य के गवाह पर बाध्यकारी नहीं है।"

बी.

सी.

उपरोक्त स्थिति में, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि डॉक्टरों द्वारा निर्धारित आयु को दोनों तरफ से दो साल का लचीलापन दिया जाना चाहिए।"

डी.

19. मुकर्रब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 7 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय में, यह देखा गया कि किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में एक अंधे और यांत्रिक दृष्टिकोण को केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है।यह भी माना गया कि 2000 के अधिनियम का उद्देश्य गंभीर और जघन्य अपराधों के अभियुक्तों को आश्रय देना नहीं है।अबूज़र हुसैन बनाम पश्चिम राज्य के रूप में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

ई.

बंगाल **8** और पराग भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **9,** के रूप में आयोजित किया गया था

इसके अंतर्गतः

एफ.

“27. हाल के एक फैसले में, एम. पी. बनाम राज्यअनूप सिंह [एम. पी. बनाम राज्य।अनूप सिंह (2015) 7 एस. सी. सी. 773:(2015) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 208], यह माना गया कि आयु निर्धारण के लिए अस्थिकरण परीक्षण एकमात्र मानदंड नहीं है।बबलू पासी [बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य, (2008) 13 एस. सी. सी. 133:(2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 266] और अनूप सिंह मामले [एम. पी. राज्य बनाम.अनूप सिंह (2015) 7 एस. सी. सी. 773:(2015) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 208], हम मानते हैं कि ऑसिफिकेशन परीक्षण को निर्णायक नहीं माना जा सकता है जब यह पता लगाने की बात आती है।

जी.

7 (2017) 2 एससीसी 210 8 (2012) 10 एससीसी 489 9 (2016) 12 एससीसी 744 ए

एच.

293

मनोज @मोनू @विशाल चौधरी बनाम हरियाणा राज्य और एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

एक व्यक्ति की आयु।इसके अलावा, इसमें अपीलार्थियों ने निश्चित रूप से तीस वर्ष की आयु को पार कर लिया है जो एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि आयु को सटीकता के साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है।वास्तव में अपीलार्थियों की चिकित्सा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दंत एक्स-रे के लिए कोई संकेत नहीं था क्योंकि दोनों अभियुक्तों की आयु 25 वर्ष से अधिक थी।”

बी.

20. इस न्यायालय ने एक निर्णय में बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य और अन्र के रूप में रिपोर्ट किया। 10 ने माना कि किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

“22. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है।जन्म तिथि का निर्धारण अभिलेख पर सामग्री और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना के आधार पर किया जाना है। एक व्यक्ति की उम्र के रूप में चिकित्सा साक्ष्य, हालांकि एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है, निर्णायक नहीं है और अन्य ठोस साक्ष्य के साथ विचार किया जाना चाहिए।”

सी.

डी.

21. रामदेव चौहान बनाम असम राज्य 11 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक्स-रे ऑसिफिकेशन टेस्ट किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ की राय से अधिक निश्चित आधार प्रदान कर सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से इतना अचूक और अचूक परीक्षण नहीं हो सकता है ताकि संबंधित व्यक्ति की सटीक जन्म तिथि का संकेत दिया जा सके।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

ई.

"21. जया माला बनाम गृह सचिव मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए।, जम्मू-कश्मीर सरकार [(1982) 2 एस. सी. सी. 538:1982 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 502:ए. आई. आर 1982 एस. सी. 1297:1982 सी. आर. आई. एल. जे. 1777] विद्वान बचाव पक्ष के वकील ने प्रस्तुत विद्वान कि न्यायालय इस बात पर ध्यान दे सकता है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा निर्धारित उम्र में सीमांत त्रुटि दोनों तरफ दो साल है। उपरोक्त मामला अभियुक्त के लिए कोई मददगार नहीं है क्योंकि उस मामले में न्यायालय निवारक हिरासत में लिए गए बंदी की उम्र पर विचार कर रहा था और किसी अपराध के दोषी ठहराए जाने पर दी जाने वाली सजा की सीमा का निर्धारण नहीं कर रहा था।अन्यथा भी यदि उपरोक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाता है, तो यह किसी भी मामले में अभियुक्त की मदद नहीं करता है।डॉक्टर ने माना है कि आरोपी की उम्र 20 साल से अधिक और 25 साल से कम है।डॉक्टर का बयान नहीं है

एफ.

जी.

10 (2008) 13 एससीसी 133 11 (2001) 5 एससीसी 714

एच.

एक राय से अधिक, न्यायालय को अपने निष्कर्षों को उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित करना होगा जो उस व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं की जांच करने पर प्रकट किए गए हैं, जिसकी उम्र प्रश्न में है, ऐसी मौखिक गवाही के साथ जो उपलब्ध हो।एक एक्स-रे ऑसिफिकेशन परीक्षण किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक चिकित्सा विशेषज्ञ की

राय की तुलना में एक निश्चित आधार प्रदान कर सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से इतना अचूक और सटीक परीक्षण नहीं हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति की सटीक जन्म तिथि का संकेत दे सके।अभियुक्त की आयु निर्धारित करते समय पाठ्यपुस्तकों, चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान पर बहुत अधिक निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।विभिन्न अक्षांशों, ऊंचाइयों, पर्यावरण, वनस्पति और पोषण वाले इस विशाल देश में ऊंचाई और वजन एक समान होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।"22. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि मेडिकल बोर्ड के सदस्य डॉ. राजीव चौहान ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि 30 से 32 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को भी वही संलयन मिलेगा जो 22 वर्ष की आयु को पार करने वाले व्यक्ति में पाया जाता है।उक्त कथन को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि चिकित्सा बोर्ड का यह निष्कर्ष कि अपीलार्थी 23 से 24 वर्ष का था, अपीलार्थी की आयु अपराध करने की तारीख को 18 वर्ष से कम निर्धारित करने के लिए निर्णायक या सहायक नहीं कहा जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

iv.परिवार रजिस्टर

ई.

23. परिवार रजिस्टर नियम उत्तर प्रदेश राज्य में एक परिवार रजिस्टर तैयार करने का निर्देश देते हैं जिसमें गाँव सभा से संबंधित गाँव में आम तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के परिवारवार नाम और विवरण शामिल हैं।ऐसे नियम यू. पी. पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 के तहत बनाए गए हैं।उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है कि अपीलार्थी किशोर नहीं है।इस प्रकार के नियम इस प्रकार हैंः

एफ.

"1. (1) इन नियमों को यू. पी. पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) नियम, 1970 कहा जा सकता है।

2. परिवार रजिस्टर का प्रपत्र और तैयारी।- फार्म ए में एक परिवार रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें गाँव सभा से संबंधित गाँव में आम तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों के नाम और विवरण परिवारवार होंगे।आम तौर पर रजिस्टर में प्रत्येक परिवार को एक पृष्ठ आवंटित किया जाएगा। अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रजिस्टर में एक अलग धारा होगी।रजिस्टर देवनागरी लिपि में हिंदी में तैयार किया जाएगा।

जी.

एच.

मनोज @मोनू @विशाल चौधरी बनाम हरियाणा राज्य और एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

ए.

3. रजिस्टर में पंजीकरण के लिए सामान्य शर्तें।- प्रत्येक व्यक्ति जो गाँव सभा के क्षेत्र के भीतर सामान्य रूप से निवासी रहा है, परिवार रजिस्टर में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण - एक व्यक्ति को एक गाँव में सामान्य रूप से निवासी माना जाएगा यदि वह सामान्य रूप से ऐसे गाँव में रह रहा है या उसके पास व्यवसाय के लिए तैयार आवास है।4. परिवार रजिस्टर में तिमाही प्रविष्टियाँ।- प्रत्येक वर्ष अप्रैल से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में, गाँव सभा का सचिव प्रत्येक परिवार में पिछली तिमाही में जन्म और मृत्यु, यदि कोई हो, के परिणामस्वरूप परिवार रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन करेगा।इस तरह के परिवर्तनों को जानकारी के लिए गाँव पंचायत की अगली बैठक से पहले रखा जाएगा।

बी.

सी.

5. किसी भी मौजूदा प्रविष्टि का सुधार।- सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर परिवार रजिस्टर में किसी भी मौजूदा प्रविष्टि के सुधार का आदेश दे सकता है और गाँव सभा का सचिव तदनुसार रजिस्टर को ठीक करेगा।

डी.

6. रजिस्टर में नामों को शामिल करना।- (1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम परिवार रजिस्टर में शामिल नहीं है, वह सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उसमें अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकता है।

ई.

(2) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), यदि संतुष्ट होता है, तो ऐसी जांच के बाद, जो वह उचित समझता है कि आवेदक रजिस्टर में पंजीकृत होने का हकदार है, निर्देश देगा कि आवेदक का नाम उसमें शामिल किया जाए और गाँव सभा के सचिव तदनुसार नाम शामिल करेंगे।

एफ.

6 नियम 5 या नियम 6 के तहत दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर उप-मंडल अधिकारी को प्राथमिकता दे सकता है और अपील कर सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा।7. रजिस्टरक अभिरक्षा आ संरक्षण।-(1) गाँव सभा का सचिव परिवार रजिस्टर की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

जी.

(2) प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्टर का निरीक्षण करने और उससे किसी भी प्रविष्टि या उद्धरण की सत्यापित प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा, इस तरह से और ऐसे शुल्क के भुगतान पर, यदि कोई हो, जो यू. पी. पंचायत राज नियमों के नियम 73 में निर्दिष्ट किया जाए।

एच.

296

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 8 एस सी आर।

फॉर्म ए

(नियम 2 देखें)

XXX

XXX

XXX

नोट करें।- टिप्पणी कॉलम में आदेश की संख्या और तारीख, यदि कोई हो, जिसके द्वारा कोई नाम जोड़ा या रद्द किया जाता है, प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ दी जानी चाहिए।"

बी.

24. नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्येक परिवार को एक पृष्ठ आवंटित किया गया है और जन्म और मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार में किसी भी परिवर्तन को ऐसे पृष्ठ पर शामिल किया जाना आवश्यक है।परिवर्तनों को ग्राम पंचायत की अगली बैठक से पहले भी रखा जाना आवश्यक है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसे नियम किसी अधिनियम के अनुसरण में वैधानिक रूप से बनाए गए हैं। रजिस्टर में प्रविष्टियाँ ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के हिस्से के रूप में की जानी चाहिए।ब्लॉक बरवाला के ग्राम पंचायत अधिकारी नीरज कुमार से पूछताछ की गई जिसमें उन्होंने कहा कि रजिस्टर में प्रविष्टियां परिवार के सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई हैं, हालांकि वह यह नहीं बता सके कि ये प्रविष्टियां किसने की थीं।

सी.

डी.

25. अपीलार्थी के पिता जगपाल सिंह यह गवाही देने के लिए एक गवाह के रूप में पेश हुए थे कि अपीलार्थी का जन्म 13.5.1993 पर हुआ था।उन्होंने अपदस्थ किया कि अपीलार्थी के जन्म के बाद, 15.4.1996 पर एक बेटी का जन्म हुआ और उसके बाद 21.9.1997 पर एक बेटे का जन्म हुआ।उच्च न्यायालय ने नीरज कुमार, आर. डब्ल्यू.-2 द्वारा प्रस्तुत परिवार रजिस्टर (प्रदर्शनी आर-4) पर भरोसा किया, जिसमें अपीलार्थी के जन्म वर्ष का उल्लेख बेटी के जन्म वर्ष के रूप में 1990 और 1996 और दूसरे बेटे के जन्म वर्ष के रूप में 1998 के रूप में किया गया था।अपीलार्थी के भाई और बहन के जन्म के वर्ष लगभग पिता द्वारा अपदस्थ किए गए वर्ष के समान हैं।उच्च न्यायालय ने पाया कि इस तरह के दस्तावेज़ को इस कारण से विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस तरह के दस्तावेज़ को ग्राम पंचायत के कामकाज के सामान्य क्रम में तैयार किया गया है।

ई.

एफ.

26. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री भार्गव का तर्क है कि परिवार रजिस्टर को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत किशोर की उम्र निर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।इस तरह के तर्क का समर्थन करने के लिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों जैसे हरे राम पर भरोसा किया गया था।

जी.

चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 12; अनिल कुमार बनाम सुचिता 13; बहादुर बनाम।

12 1989 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 438 13 2009 एस. सी. सी ऑनलाइन सभी 671 ए

एच.

297

मनोज @मोनू @विशाल चौधरी बनाम हरियाणा राज्य और एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

उत्तर प्रदेश राज्य 14; अब्दुल हकीम पारधन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 15 और राम मूर्ति देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 16.

27. हरे राम चौधरी एक आदेश है जो मामले को पूर्ण पीठ को संदर्भित करता है कि क्या उस न्यायालय का निर्णय प्रमोद कुमार मांगलिक बनाम श्रीमती। साधना रानी **17** सही ढंग से तय की गई है।चूँकि कोई मुद्दा अंततः निर्देशित नहीं किया गया है**,** इसलिए संदर्भ क्रम में कोई भी अवलोकन प्रासंगिक नहीं हैं।

बी.

28. अनिल कुमार में, विवाद सुचिता नाम की एक उम्मीदवार की जन्म तिथि के संबंध में एक चुनाव याचिका से संबंधित था।उसने स्कूल के रिकॉर्ड में जन्म तिथि के विपरीत 03.07.1984 पर खुद का जन्म होने का दावा किया।उसकी माँ की मृत्यु की तारीख साबित करने के लिए परिवार के रजिस्टर पर भरोसा किया गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि परिवार रजिस्टर केवल एक दस्तावेज है जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम दिखाए गए हैं और वे आम तौर पर संबंधित गांव के निवासी हैं।यह उसमें उल्लिखित किसी भी परिवार के सदस्य की जन्म तिथि या मृत्यु का निर्णायक प्रमाण नहीं हो सकता है।

सी.

डी.

29. बहादुर में, आरोपी ने यू. पी. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2004 पर भरोसा करते हुए, उसे किशोर घोषित करने के लिए पारिवारिक रजिस्टर में प्रविष्टियों पर भरोसा किया।उच्च न्यायालय ने परिवार रजिस्टर को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रस्तुत प्रविष्टि वर्ष 2000 में तैयार किए गए रजिस्टर के आधार पर थी जो 1970 के मूल रजिस्टर के आधार पर तैयार की गई थी, लेकिन वर्ष 1970 का मूल रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया था।

ई.

30. अब्दुल हकीम पारधन के मामले में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि पारिवारिक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां कभी भी आधिकारिक कर्तव्यों के नियमित क्रम में नहीं की जाती थीं।पारिवारिक रजिस्टर यह दिखाने के लिए एक सबूत हो सकता है कि व्यक्ति परिवार में रह रहा है लेकिन उम्र का पता लगाने के लिए सबूत नहीं है।

एफ.

31. राम मूर्ति देवी में, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा परिवार रजिस्टर में प्रविष्टि को बदल दिया गया था।उक्त मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए उत्पन्न नहीं हो रहा है।पक्षकारों को परिवार रजिस्टर नियमों के नियम 6 ए के संदर्भ में उपचार लेने के लिए भेजा गया था।

जी.

14 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 1757 15 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 5201 16 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 260 17 1989 एस. सी. सी. ऑनलाइन ऑल 125

एच.

32. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 दीवानी और आपराधिक कार्यवाही दोनों में आकर्षित होती है।यह विचार करता है कि किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस देश की कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के पालन में, जिसमें ऐसा रजिस्टर रखा गया है, सामान्य कार्य क्रम में रखा गया रजिस्टर एक प्रासंगिक तथ्य होगा।इस न्यायालय ने एक फैसले में रविंदर सिंह के रूप में रिपोर्ट किया

बी.

गोरखी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **18** निम्नानुसार अभिनिर्धारित हैः

“23. साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 दीवानी और आपराधिक दोनों कार्यवाहियों में आकर्षित होगी।साक्ष्य अधिनियम दीवानी कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही के बीच कोई अंतर नहीं करता है।जब तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस देश के कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के पालन में सामान्य कार्य क्रम में बनाए रखा गया रजिस्टर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसा रजिस्टर रखा जाता है, एक प्रासंगिक तथ्य होगा।इस प्रकार, धारा 35 किसी दस्तावेज़ को उसके तहत स्वीकार्य ठहराने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की अपेक्षा करती हैः((i) यह किसी भी सार्वजनिक या आधिकारिक रजिस्टर में प्रविष्टि की प्रकृति में होना चाहिए; (ii) इसमें एक तथ्य या प्रासंगिक तथ्य का उल्लेख होना चाहिए; (iii) प्रविष्टि या तो किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, या किसी व्यक्ति द्वारा देश के कानून द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के प्रदर्शन में की जानी चाहिए; और (iv) सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्विवाद रूप से उस तक पहुंच होनी चाहिए।”

सी.

डी.

ई.

33. कृष्ण पाल बनाम यू**.** पी**.** राज्य**, 19** में विद्वान एकल न्यायाधीश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में एक पारिवारिक रजिस्टर एक सार्वजनिक रिकॉर्ड है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 15 (xxiii) (e) के वैधानिक प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है, जिसे उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियम, 1947 के नियम 2, नियम 67, नियम 142 से 144 के सहपठित पढ़ा जाता है।परिवार रजिस्टर उत्तर प्रदेश पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) नियम, 1970 के तहत तैयार किया जाता है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रपत्र (ए) में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की तारीख भी दर्ज होती है।फॉर्म (डी) नामक एक और फॉर्म है जो जन्म और मृत्यु की तारीख दर्ज करने के लिए है।इसलिए ये दोनों प्रपत्र किसी व्यक्ति की

मृत्यु की तारीख दर्ज करते हैं और वे नियमों के तहत निर्धारित किए जाते हैं।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नियम राज्य सरकार और रजिस्टरों द्वारा बनाए गए हैं

एफ.

जी.

18 (2006) 5 एस. सी. सी. 584

एच.

19 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 695 ए

299

मनोज @मोनू @विशाल चौधरी बनाम हरियाणा राज्य और एएनआर। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

विशेष उद्देश्यों के लिए निर्धारित नियमों के तहत अधिसूचित किए जाते हैं।उक्त प्रयोजन के लिए 1947 के अधिनियम की धारा 110 (vii) का संदर्भ दिया जा सकता है।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"मेरी राय में, उक्त सार्वजनिक दस्तावेज के संबंध में एक अनुमान लगाया जाना चाहिए और अगर इसे साबित करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी को पेश नहीं किया गया होता तो इसे केवल अविश्वास नहीं किया जा सकता है।पारिवारिक रजिस्टर की प्रति एक सार्वजनिक दस्तावेज है और इसकी वास्तविकता के रूप में एक अनुमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 79 के तहत स्वीकार किया जाता है।

बी.

34. शिव पट्टा बनाम यू. पी. राज्य।, 20 यह अभिनिर्धारित किया गया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) नियम, 1970 के तहत वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में परिवार रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है।इसी तरह, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में मृत्यु की तारीख रखी जाती है और यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक दस्तावेज है।इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य है और अधिनियम की धारा 79 के तहत शुद्धता का अनुमान लगाती है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इसे गलत साबित करने के लिए किसी भी साक्ष्य के अभाव में, इसकी शुद्धता साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 79 के तहत मानी जा सकती है।

सी.

डी.

35. इसलिए, ऐसे नियम अप्रासंगिक नहीं हैं जैसा कि श्री भार्गव ने तर्क दिया है।इस परिवार रजिस्टर में न केवल जन्म तिथि होती है, बल्कि परिवार में किसी भी परिवर्धन का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, हालांकि प्रत्येक मामले में साक्ष्य मूल्य की जांच की जानी चाहिए।

ई.

36. हम कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए व्यापक दृष्टिकोण को मंजूरी देने में असमर्थ हैं कि परिवार के सदस्यों की आयु निर्धारित करने के लिए परिवार रजिस्टर प्रासंगिक नहीं है।यह तथ्य का सवाल है कि परिवार रजिस्टर के साथ कितना साक्ष्य मूल्य जोड़ा जाना है, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है, कानून का सही उच्चारण नहीं होगा।एक कानून के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है।इस प्रकार पंचायत के कार्यों के नियमित क्रम में की गई प्रविष्टियाँ प्रासंगिक होंगी, लेकिन इस तरह की निर्भरता की सीमा प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होगी।37. नियमों के नियम 12 (3) (iii) के संदर्भ में, निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रासंगिक है।

एफ.

जी.

एच.

किशोरता साबित करने के लिए दस्तावेज़।परिवार का रजिस्टर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है।इसलिए, यह सख्ती से नियमों के नियम 12 (3) के खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आएगा।यहां तक कि 2015 के अधिनियम की धारा 94 (2) (ii) भी आयु निर्धारित करने के लिए पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार करती है।

38. अपीलार्थी ने 2000 अधिनियम की धारा 7 ए के तहत दायर अपने आवेदन में केवल स्कूल छोड़ने के रिकॉर्ड के आधार पर किशोरावस्था पर भरोसा करने की मांग की। इस तरह का स्कूल रिकॉर्ड विश्वसनीय नहीं है और ऐसा लगता है कि केवल किशोरावस्था के अनुरोध का समर्थन करने के लिए प्राप्त किया गया है।अपीलार्थी ने अपने आवेदन में जन्म प्रमाण पत्र की तारीख का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि यह बाद में प्राप्त किया गया था।कहने की जरूरत नहीं है कि किशोरावस्था की याचिका को प्रामाणिक और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए।यदि नाबालिग होने की मांग करने के लिए किसी ऐसे दस्तावेज़ पर निर्भरता है जो विश्वसनीय या

संदिग्ध प्रकृति का नहीं है, तो अपीलार्थी को इस बात को ध्यान में रखते हुए किशोर नहीं माना जा सकता है कि अधिनियम एक लाभकारी विधान है।जैसा कि बबलू पासी में भी कहा गया है, कानून के प्रावधानों की व्याख्या उदारता से की जानी चाहिए, लेकिन लाभ उस अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है जिसने असत्य बयान के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

बी.

सी.

डी.

39. इसलिए, हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने अस्वच्छ हाथों से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है क्योंकि उसके द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है वे वास्तविक और भरोसेमंद नहीं हैं।इस प्रकार, हम पाते हैं कि अपीलार्थी को किशोरता का लाभ नहीं दिया जा सकता है।उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में एक संभावित दृष्टिकोण है और वर्तमान अपील में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।

ई.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.